

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**आदेश**

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	सुरेश चन्द्र आमेटा, सलूमबर- उदयपुर	01.05.1958	30.04.2018
2	संतोष पंवार, हिगोटिया- स0माधोपुर	10.05.1958	31.05.2018
3	बाबूलाल यादव, सरायकलां- अलवर	11.05.1958	31.05.2018
4	सतीश चन्द गुप्ता, कूम्हां- सेवर-भरतपुर	30.05.1958	31.05.2018
5	गोकुल राम, मडगांव- जालोर	09.06.1958	30.06.2018
6	दया शर्मा, उमरी-स0माधोपुर	11.06.1958	30.06.2018
7	शान्ति देवी शर्मा, खानपुरा-नैनवा-बूंदी	01.07.1958	30.06.2018
8	रामचन्द्र शर्मा, भाण्डूकलां-लूणी- जोधपुर	03.07.1958	31.07.2018
9	आत्माराम, कारी-नवलगढ-झुंझुनूं	10.07.1958	31.07.2018
10	ओमपाल सिंह, गोलिया भायलान- बाडमेर	10.07.1958	31.07.2018
11	जोरावर सिंह वया, खेरोदा- उदयपुर	11.07.1958	31.07.2018
12	अकबर अली, कासिमपुरा- झुंझुनूं	15.07.1958	31.07.2018
13	संतोष शर्मा, आगोलाई- जोधपुर	30.07.1958	31.07.2018
14	हीरालाल शर्मा, सहनाली- चूरु	22.11.1958	30.11.2018
15	विनय प्रभा, बा0दयानन्दमार्ग- बीकानेर	27.11.1958	30.11.2018
16	चेतनराम, देवा-जैसलमेर	30.11.1958	30.11.2018
17	गुलशन शर्मा, इन्द्रगढ- बूंदी	15.02.1959	28.02.2019
18	चन्द्रिका आमेटा, गोगुन्दा- उदयपुर	05.03.1959	31.03.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 20.4.2018

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2015-16
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबधित शाला-संस्था प्रधान/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. निजी एवं रक्षित पत्राय



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर